...व हरिसिंह मृतक के बजाय ::–
1– श्रीमति सूरजकंवर पत्नि स्व. राव हरिसिंह चुण्डावत निवासी बेगॅू
2– महासिंह पुत्र स्व. राव हरिसिंह चुण्डावत निवासी बेगॅू
3– श्रीमति अन्नपूर्णा पत्नि स्व. माधवसिंह चुण्डावत निवासी बेगॅू
4– क. अजयसिंह पुत्र स्व. राव हरिसिंह चुण्डावत निवासी बेगॅू
5– यशवन्तसिंह पुत्र स्व. माधवसिह नाबालिग जरिये माता अन्नर्णू चुण्डावत निवासी बेगॅू तह0 बेगॅू जिला चितौडगढ़

.........वादीगण

बनाम

1– राजस्थान राज्य द्वारा श्री जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ़
2– श्रीमान कमिश्नर साहब देवस्थान विभाग ,उदयपुर
3– श्री तहसीलदार साहब बेगॅू जिला चितौडगढ़

...........प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री सिद्धार्थ बिल्लू
अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार सरकार
तहसीलदार, बेगॅू

दिनांक ::–12.09.2023

निर्णय वाद पत्र अ0धा0 88–91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वाद पत्र इस प्रकार से है कि मौजा सूलीमंगरा में मंदिर श्री नृसिंह का स्थित है तथा एक तलिया भी स्थित है। यह मंदिर ठिकाना बेगॅू की निजी संपत्ति हैं। ठिकाना बेगॅू एक मात्र मालिक में रावत सवाई हरिसिंह हॅू तथा मंदिर का सेवायत होकर मेरी ही व्यवस्था में है , तलिया मेरी निजी सम्पत्ति है। उक्त मंदिर मेरे पक्ष में दिनांक 24.02.1963 को जागीर कमिश्नर साहब जयपुर ने निजी संपति का फैसल देते समय पेज चार आईटम नं0 25 में उक्त मंदिर को सूलीमगरा में श्री नरसिंहग जी का मंदिर मय तलिया जादीरदार का माना जावें। उल्लेखत करते हुए दर्शाया है इस कारण मंतिदर नृसिंहजी एवं तलिया मेरी निजी सम्पति है। यह कि उक्त मंदिर व तलिया खतौनी सं0 55 में निम्न आराजीयात में स्थित है।

आ0नं0		रकबा हैक्टर में
23		0.1900 हैक्टर
184		0.0400 हैक्टर
2	रकबा	0.2300 हैक्टर

यह कि नरसिंह जी के मंदिर को नरसिंह द्वारा भी बोला जाता रहा है रेकार्ड में श्री नरसिंग जी का मंदिर मय तलिया न होकर श्री नरसिंहद्वारा स्थान देह अंकित मौजूदा जमाबंदी में अंकित है जो सही नही है इसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। सूलीमंगरा में नरसिंह जी का मंदिर इसके अतिरिक्त अन्य कहीं भी सिथत नहीं है। इस प्रकार किले में स्थित द्वारकाधीश का मंदिर एवं किले में स्थित पूरा रकबा ... मलकितयत है। यह कि जब कि जब में ठिकाना बेगॅू से बाहर अध्ययन कर रहा ... तब ... और से निजी संपति की लिस्ट जागीर कमिश्नर साहब जयपुर को दी गई थी जब ... खाता लेने पर जानकारी हुई कि निजी संपति वाला आइटम को नरसिंह का मंदिर है वहां गांव में प्रचलित नाम ... में अंकित हो गया। सूलीमंगरा में कोई नरसिंह द्वारा है ही नहीं यह नरसिंह का मंदिर है चूंकि यह मंदिर मेरे निजी संपति में है सो इसकी व्यवस्था व सरवरा भी में ही करता हूॅ मेरे अतिरिक्त किसी अन्य का इस पर कोई अधिकार नहीं है । देवस्थान विभाग ने भी इसी कारण इस व्यवस्था कमेटी आदि बनाकर नहीं की है। नोटिस दफा 80 जा.दी. का दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:18:35 IST
Reason: SelfAttested

जा रहा है। मंदिर के साथ तलिया है दोनो आ0नं0 23 व 184 मौजा सूलीमगरा में स्थित है। अतः मंदिर व उसके साथ तलिया मुझ हरिसिंह की मलकियत की घोषणा हेतु तथा रिकार्ड में भी यह अंकन कराने हेतु नरसिंह का मंदिर मय तलिया जिसके नं0 23 एवं 184 है मेरी निजी संपति की घोषणा हेतु वाद पेश है। दावें में तीनों प्रतिवादी आवश्यक पक्षकार होन से वाद उनके विरूद्ध पेश किया है।

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार से डिकी फरमाई जावें:—

1— श्री नृसिंह का मंदिर मय तलिया स्थान देह जो स्थान आ0नं0 23 रकबा 0.1900 हैक्टर एवं आ0नं0 184 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल 0.2300 हैक्टर मेरी निजी संपति होने की घोषणा की जाकर रेकाड ऑफ राईट्स में भी इस प्रकार की दुरूस्ती की घोषणा की जावें।

2— अन्य वाद जिसका वादी अधिकारी हो दिलाई जावें।

उक्त दावा न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण की ओर से भूमिधारी तहसीलदार, बेगूॅ प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब दावा प्रस्तत करते हुए वादीगण के वाद पत्र को अस्वीकार किया गया तथा जवाब में निवेदन किया कि ग्राम सूलीमंगरा तह0 बेगूॅ के वर्तमान आराजी नं0 23 रकबा 0.1900 हैक्टर व आ0नं0 184 हैक्टर रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि खातेदार श्री नरसिंह द्वारा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से उक्त भूमि संपति नरसिंह द्वारा की होने से वादी के नाम घोषणा की जाकर रिकोर्ड ऑफ राईट में वादी के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित नहीं है।

जवाब दावे के विशेष कथन में अंकित किया गया कि ग्राम सूलीमंगरा के नवीन सेटलमेन्ट वर्तमान आ0सं0 23 रकबा 0.1900 हैटर व आ0नं0 184 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री नरसिंह द्वारा होने से उक्त भूमि की संपति को वादी रावत सवाई हरिसिंह पिता स्व. अनोपसिह राजपूत भूतपूर्व जागीरदार ठिकाना बेगूॅ के नाम घोषणा की जाकर अधिकारअभिलेख में इनके नाम पर खातेदारी हक से दर्ज किया जाना न्यायसंगत नहीं है। पत्रावली में जवाब दावा प्रस्तुत होने पर निम्न तनकी पत्रावली में पृथक से कायम की जाकर शामिल पत्रावली की गई:—

1— आया श्री नृसिंह का मंदिर मय तलिया स्थान देह जो स्थान आ0नं0 23 रकबा 0.1900 हैक्टर एवं आ0नं0 184 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल 0.2300 हैक्टर वादी की निजी संपति होने की घोषणा की जाकर रेकाड ऑफ राईट्स में भी इस प्रकार की दुरूस्ती की घोषणा करा पाने के अधिकारी है? वादी

2— आया ग्राम सूलीमंगरा के नवीन सेटलमेन्ट वर्तमान आ0सं0 23 रकबा 0.1900 हैटर व आ0नं0 184 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री नरसिंह द्वारा होने से उक्त भूमि की संपति को वादी रावत सवाई हरिसिंह पिता स्व. अनोपसिह राजपूत भूतपूर्व जागीरदार ठिकाना बेगूॅ के नाम घोषणा करा पाने व अभिलेख में वादी के नाम खातेदारी भूमि का अंकन करा पाने के वादी न्यायसंगत अधिकारी नहीं है?

प्रति.सरकार

3— दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात वादी की ओर से वादी रावत सवाई हरिसिंह पिता स्व0 अनोपसिंह राजपूत द्वारा वादी साक्ष्य में अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिनसे प्रतिवादी पैरोकार तहसीलदार बेगूॅ द्वारा [illegible] की गई जिरह में वादी ने कथन किया कि ग्राम सूलीमंगरा में कोई नरसिंह [illegible] नहीं है वह ग्राम जूनी बेगूॅ में है सूलीमंगरा की जमीन मेरे नाम की है, जिसका खसरा अंकन नरसिंह जी के नाम गलत है। मेने मिलान खसरा पेश नहीं किया है। वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपने बयान कलमबद्ध कराये गयें। पत्रावली में वादी के अतिरिक्त कोई अन्य स्वतंत्र गवाह इस दावा पत्रावली में वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि वादी की साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिवादीगण पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाकर सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:18:35 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित भूमि व नरसिंह मंदिर को वादी की निजी संपति होने से उनके नाम पर घोषणा जाने का निवेदन किया गया है, जबकि प्रतिवादीगण पैरोकार तहसीलदार द्वारा भूमि दिर की होने से दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। पत्रावली में वादीगण की ओर से सभी प्रदर्श दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया , अवलोकन के पश्चात हमारे द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– तनकी नं0 1 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वादीगण द्वारा दावा पत्रावली में जो दस्तावेज पेश किये है उनमें मुख्य रूप से नकल जमाबंदी मौ सुलीमगरा तह0 बेगूँ की सं0 2066 से 69 की प्रस्तुत की है जो प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी में श्री नरसिंह द्वारा स्थान देह खातेदार के नाम पर आराजी संख्या 23 रकबा 0.1900 हैक्टर व आराजी संख्या 184 रकबा 0.0400 हैक्टर क्रमशः मंगरी व खड्डा दर्ज अंकित है, जबकि पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–2 नकल सूची श्री गोरध्णनसिंह आई0ए0एस जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर की सत्यप्रति का अवलोकन किया गया जिसमें आईटम नं0 25 पर अंकित सूलीमगरा में श्री नरसिंह जी का मन्दिर मय तलिया जागीरदार का माना जावें। का उल्लेख अंकित किया गया है, नकल जमाबंदी में श्री नरसिंह द्वारा स्थान देह खातेदार अंकित है, जबकि जागीरकमिश्नर की लिस्ट मे सूलीमंगरा का मंदिर को ही जागिरदार की मलकियत माने जाने का उल्लेख है, किसी भी दर्ज खातेदार का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम उनके स्थान पर घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रती नहीं होता है। पत्रावली में प्रदर्श– 3 दफा 80 जा.दी. के नोटिस की प्रति व प्रदर्श–4 से 6 तक नोटिस भिजवाने की रसीदात है, व प्रदर्श–7 प्राप्ती रसीद है, जो प्रस्तुत की गई है, प्रस्तुत मुख्य दो दस्तावेज प्रदर्श– 1 व प्रदर्श–2 के अवलोकन से वादी का वादपत्र सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार तनकी नं0 1 विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2– तनकी नं0 2 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी तहसीलदार, बेगूँ का है जिन्होने दावा पत्रावली में अपना जवाबदावा तो प्रस्तुत किया है किन्तु पत्रावली में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, किन्तु प्रतिवादी के जवाब की पुष्टी दावा पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी व नकल जागीर कमिश्नर की सूची से हो जाती है क्यो कि वादी स्व. हरिसिंह जी की मलकितयत जागीर कमिश्नर की सूची में आईटम नं0 25 पर अंकित सूलीमगरा में श्री नरसिंह जी का मन्दिर मय तलिया जागीरदार का माना जावें। का उल्लेख किया है जबकि वाद वर्णित आराजीयात जिसकी घोषणा वादीगण अपने पक्ष में चाहते है वह श्री नरसिंह द्वारा स्थान देह खातेदार के नाम पर आराजी संख्या 23 रकबा 0.1900 हैक्टर व आराजी संख्या 184 रकबा 0.0400 हैक्टर क्रमशः मंगरी व खड्डा दर्ज अंकित है, इस प्रकार वादीगण यह स्पष्ट नहीं करा पाये है कि खातेदारी में दर्ज नरसिंह द्वारा स्थान को नरसिंह जी का मन्दिर मय तलिया किस प्रकार से मान लिया जावें। वैसे भी तनकी नं0 1 विरूद्ध वादीगण निर्णित होने से यह तनकी नं0 2 बहक प्रतिवादी तहसीलदार, बेगूँ विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम तनकी नं0 1 व तनकी नं0 2 दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण निर्णित किये जाने से वादीगण का वाद पत्र सिद्ध नहीं होता है।

अतः वाद वादीगण अ0धा0 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से सिद्ध नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2023 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:18:35 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ